Govt.of MadhyaPradesh

मध्य प्रदेश शासन

Office of the Field Director

Panna Tiger Reserve

Panna, Madhya Pradesh, (India)

Phone No. +917732-252135 (O) Fax, +917732-252120
E-mail: fdpnp.pna@mp.gov.in Website: www.pannatigerreserve.in

Panna Tiger Reserve

पन्ना टाईगर रिजर्व

क्रमांक / तकनीकी / 2025 / 836 पन्ना, दिनांक– 22/04/2025

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय :– पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं.–43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वन भूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे0) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बावत्। (FP/MP/ROAD/121709/2021)

संदर्भ :– 1.आपका पत्र क्र./एफ–5/2022/10–11/3747 दिनांक 07.11.2022
2.आपका पत्र क्र./एफ–5/1215/2023/10–11/3261 दिनांक 20.06.2024
3.कार्यालयीन पत्र क्र./तकनीकी/2024/2050 दिनांक 30.10.2024
4.आपका पत्र क्र./एफ–5/1215/2023/10–11/105 दिनांक 08.01.2025
5.कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रा. रा. संभाग सागर का पत्र क्र./468 दिनांक 11.04.2025

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है, कि योजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के बदले दुगने विगड़े वनक्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार किये जाने के संबंध में संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के पालन में वनकक्ष क्र. पी–466, पी–467 रकवा 70.00 हे0 क्षेत्र की रोपण योजना तैयार कर ऑनलाईन प्रस्ताव के साथ संलग्न करते हुये प्रेषित की गई थी।

योजना में भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 03 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई, जिसमें प्रस्तावित क्षेत्र में Carriage way क्षेत्र को भी शामिल कर योजना में प्रभावित वनभूमि के बदले गैर वनभूमि प्राप्त करने तथा रोपण योजना तैयार करने के संबंध में संदर्भित पत्र क्र. 02 के माध्यम से निर्देश हुये। उक्त निर्देशों के पालन में आवेदक संस्थान द्वारा ग्राम किशनगढ़ अंतर्गत 44.492 हे0 गैर वनभूमि कलेक्टर छतरपुर से आदेश दिनांक 28.08.2024 द्वारा आवंटित कराई गई, जिसमें 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना तैयार कर संदर्भित पत्र क्र. 03 के माध्यम से ऑनलाईन आपकी ओर प्रेषित की गई।

प्रेषित जानकारी के अनुक्रम में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल ने सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व पुनः 04 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई, जिसके संबंध में संदर्भित पत्र क्र. 04 के माध्यम से निर्देश प्राप्त हुये, जिसके संबंध में आवेदक संस्थान को कार्यालयीन पत्र क्र./तकनीकी/614 दिनांक 13.03.2025 द्वारा योजना में प्रभावित वनभूमि के बदले आवंटित की गई गैर वनभूमि के खसरा नम्बर 69, 70 एवं 72 जिसकी राजस्व अभिलेखों में मद जंगल है तथा खसरा नम्बर 101, 94, 95, 80 मद पहाड़ दर्ज है, का लेख करते हुये अन्य दूसरी भूमि उपलब्ध कराने अथवा राजस्व मद में वन के रूप में दर्ज भूमि दोगुना उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया था।

आवेदक संस्थान द्वारा प्रेषित पत्र के संदर्भ में संदर्भित पत्र क्र. 05 के माध्यम से अनुरोध किया गया है, कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 17.12.2024 वन (संरक्षण एवं संवर्धन) संशोधित नियम 2024 के अनुसार केन्द्र सरकार की परियोजनाओं के लिये Degraded Forest Land के दुगने क्षेत्र पर प्रति वनीकरण योजना तैयार की जा सकती है, जिसमें गैर वनभूमि की आवश्यकता नही है। अतः पूर्व में क्षतिपूरक वनीकरण योजना तैयार की जाकर प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसे मान्य किया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है, कि योजना के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें, कि योजना में प्रभावित भूमि के बदले गैर वनभूमि प्राप्त की जावें या पूर्व में प्रेषित की गई 70.00 हे0 क्षेत्र की रोपण योजना पुनः प्रेषित की जाये अथवा 44.492 हे0 के बदले दोगुने बिगड़े वनक्षेत्र की संशोधित 88.984 हे0 की नवीन वृक्षारोपण योजना तैयार कर प्रेषित किये जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(मोहित सूद)
उप संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व,पन्ना

पृ0क्र0/तकनीकी/2025/837
प्रतिलिपिः–

पन्ना, दिनांक 22/05/2025

1. क्षेत्र संचालक पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग रा0रा0 संभाग सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

उप संचालक,
पन्ना टाइगर रिजर्व,पन्ना

Scanned with CamScanner